

भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड ३॥१॥ में प्रकाशनार्थी

लैंग ११०४७/१/८८-ए०आई०एस०११॥

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक १५-३-१९८१

अधिसूचना

सा० का०नि० स० केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुलिस सेवा १५वेतन० नियम, १९५४ के नियम ।। के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ १९५१ का ६।१ की धारा ३ की उपधारा १५।१ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय पुलिस सेवा १५वेतन० नियम, १९५४ का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

१. १५।१ इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा १५वेतन० संशोधन नियम, १९८१ है ।

१२।१ ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगी ।

२. भारतीय पुलिस सेवा १५वेतन० नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में, "ग वे पद जिनका वेतनकाल वेतनमान से अधिक है या जिनके साथ केन्द्रीय सरकार के अधीन जब पद सेवा के सदस्यों द्वारा धारित किए गए हों काल वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त किंवदं वेतन है" शीर्षक के अधीन, "केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के सामने संभ २ से ४ की प्रविष्टयों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टया रखी जाएगी, अर्थात्:-

१	२	३	४
१.	निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	३,२५०	-
अपर निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	३,०००	-	
. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, और किंवदं महानिरीक्षक पुलिस, किंवदं पुलिस स्थापन	२५००-१२५/२-	-	
उपनिदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	२७५० रु०		
उप महानिरीक्षक पुलिस केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,	२०००-१२५/२-२२५०रु०	२००.००	
	२०००-१२५/२-२२५०रु०	२००.००	

-2-

सहायक निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/ ज्येष्ठ कालवेतनमान या  
 सहायक महानिरीक्षक पुलिस,  
 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।

चयन श्रेणी

300-00

इस शर्त के  
 अधीन रहते हुए  
 कि वेतन और  
 क्रोध वेतन  
 दोनों मिलाकर  
 2000 रु. से  
 अधिक न हो

उन स्थानीय शाखाओं में जहाँ  
 एक से अधिक पुलिस अधीक्षक हैं,  
 ज्येष्ठतम पुलिस अधीक्षक/  
 अधिल भारतीय अधिकारिता  
 वाले किसी केन्द्रीय एकक में तेनात  
 पुलिस अधीक्षक

अपर निर्दिष्ट से भिन्न सभी पुलिस  
 अधीक्षक

यथोक्त

200/-

श्री ३११२. श्रीनिवाराज  
 वीरोआर० श्रीनिवासन  
 अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,  
 भारत सरकार मुद्रणालय,  
 मायापुरी रिंग रोड़  
 नई दिल्ली ।